न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

प्रकरण संख्या : **652/15 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No. : 2015/00246

1. श्री सखा उर्फ सुखलाल पिता कन्ना डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री मेघराज पिता वरदा डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।
2. श्रीमती सरसी पिता वरदा डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।
3. श्रीमती प्यारीबाई पिता वरदा डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।
4. श्रीमती मोतीबाई पिता कन्ना डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।
5. श्रीमती हेमीबाई पिता कन्ना डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।
6. श्रीमती रम्भा पिता कन्ना डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।
7. श्री लच्छा पिता कन्ना डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित– 1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 3
3. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 4 से 7

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.

मूल वाद सं. 241/07 वरदा बनाम लच्छा निर्णय 19.04.2010

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 12.11.2024

1. प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है – उक्त विपक्षीगण 1, 2 व 3 के पिता वरदा जी ने प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 4 से 8 के विरूद्व मौजा सिन्दु, तह. मावली में अंकित आराजी नम्बर 257 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्व दिनांक 04.03.2008 को एकतरफा किया जाकर वादी की साक्ष्य लेकर तारीख 19.04.2010 को एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई हैं जिसका मुकदमा नम्बर 241/07 वाद पत्र हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्व जो सम्मन जारी किया गया है वह सम्मन प्रार्थी/प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested

को नहीं मिला है। पत्रावली के देखने से स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी के नाम जो सम्मन पेशी तारीख 08.10.2007 का जारी किया गया हैं। इस सम्मन की पुश्त पर अंकन किया है कि बाहर मेहमान जाने से एक प्रत नोटिस खुले मकान पर चस्पा किया दो मौतबीरों के सामने, लेकिन इस प्रकरण में चस्पान्दगी से तामील कराने का कोई आदेश न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है, न दो मौतबीर जो बताये गये है उनके नाम पता ही अंकित किया गया है, न यह बताया गया है कि ये मौतबीर कौन है व कहां के रहने वाले है, जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौतबीरों के नाम, पिता का नाम व पता अंकित करना चाहिए, जो नहीं किया गया है। इसके अलावा भी तामिल कुलिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट भी नहीं हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी/प्रतिवादी की तामील मान दिनांक 04.03.2008 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित करने में भूल की हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी की विधिवत् तामील नहीं हुई है, जिससे कथित एकतरफा का आदेश व उसके बाद पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2010 निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/प्रतिवादी की विधिवत् तामील कराये बिना तामील मान उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। कथित प्रकरण कृषि भूमि से सम्बन्धित स्वामित्व के सम्बन्ध में हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी/प्रतिवादी को विधिवत् सूचना देकर सुना जाना आवश्यक होते हुए भी बिना सूचना के कथित निर्णय पारित करने की भारी भूल की हैं। न्यायालय द्वारा कथित प्रकरण में इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा है कि इस प्रकरण में वादी की ओर से वादी स्वयं के अलावा अन्य किसी के बयान नहीं कराये गये है, न वादी की ओर से कोई दस्तावेज को साक्ष्य से साबित नहीं कराये गये हैं व बिना साक्ष्य के वादी का वाद बिना किसी आधार के डिक्री कर दिया गया है जो भी गलत है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि विवादित आराजी के खातेदार प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 4 से 7 है व कब्जा भी प्रार्थी व विपक्षी नम्बर 4 से 7 का चला आ रहा हैं। वादी का कोई कब्जा आराजी नम्बर 257 पर नहीं रहा है, न है तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार जब वादी का कब्जा ही नहीं है तो कब्जे के अभाव में वादी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है, न प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा ही जारी की जा सकती हैं।

3. यह कि विवादित भूमि को प्रतिवादीगण [illegible] दर्ज कराने हेतु वादी वरदा द्वारा स्टाम्प पर लिखा पढी भी कर रखी है। [illegible] की मृत्यु हो गई है जिसके वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी नम्बर 1 से 3 है जिन्हे विपक्षी बनाये गये हैं। कथित एकपक्षीय डिक्री की जानकारी अभी लोक अदालत शिविर के दौरान तारीख 27.07.15 को हुई, जबकि प्रार्थी ने बंटवाडे हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने हेतु कहा तो पटवारी ने बताया कि यह भूमि तो विपक्षी नम्बर 1 से 3 के नाम दर्ज है जो वरदा की विरासत से नामान्तरकरण खोलने पर हुई है व वरदा के नाम कथित डिक्री से दर्ज हुई है, जिस प्रार्थी ने कथित डिक्री की नकल लेने हेतु दिनांक 27.07.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर नकल दिनांक 29.07.15 को दी गई, उसके बाद प्रार्थी ने अधिवक्ता मुकर्रर कर यह प्रार्थना पत्र तैयार करा प्रस्तुत किया जा रहा है जो जानकारी से अन्दर मयाद हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एकतरफा पारित निर्णय व डिक्री तारीख 19.04.2010 व एकतरफा का आदेश तारीख 04.03.2008 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी/प्रतिवादी के मुकाबले कार्यवाही किये जाने का आदेश बक्षाया जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रतिवादी को कथित प्रकरण का कोई सम्मन नहीं मिला है, न प्रार्थी/प्रतिवादी पर विधिवत् तामील हुई है तथा न्यायालय द्वारा चस्पान्दगी से तामील कराने का कोई आदेश भी नहीं दिया गया हैं। बिना आदेश के चस्पा जो किया गया है वह भी विधिवत् नहीं हुआ है व बिना तामील के निर्णय पारित किया गया हैं। कथित एकपक्षीय डिक्री की जानकारी अभी लोक अदालत शिविर के दौरान तारीख 27.07.15 को हुई, जबकि प्रार्थी ने बंटवाडे हेतु पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने हेतु कहा तो पटवारी ने बताया कि यह भूमि तो विपक्षी नम्बर 1 से 3 के नाम दर्ज है जो वरदा की विरासत से नामान्तरकरण खोलने पर हुई है व वरदा के नाम कथित डिक्री से दर्ज हुई है, जिस पर प्रार्थी ने कथित डिक्री की नकल लेने हेतु दिनांक 27.07.15 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर नकल दिनांक 29.07.15 को दी गई, उसके बाद प्रार्थी ने अधिवक्ता मुकर्रर कर यह प्रार्थना पत्र तैयार करा प्रस्तुत किया जा रहा है जो जानकारी से अन्दर मयाद हैं। प्रार्थी ने कथित एकपक्षीय डिक्री व एकपक्षीय आदेश को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में जानबुझकर कोई देरी नहीं की है, देरी का पर्याप्त कारण है व न्याय के लिए देरी के समय को कण्डोन कराया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना है कि देरी के समय को कण्डोन फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 1[illegible] अन्दर मयाद शुमार फरमाया जाकर गुण दोषों पर निर्णय फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 4 से 7 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम विपक्षीगण सं. 1 से 3 के पिता वरदा जी ने एक वाद प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 4 से 8 के विरूद्व मौजा सिन्दु तह. मावली में अंकित आराजी नम्बर 257 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का माननीय न्यायालय में अवश्य प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण सं. 241 सन् 2007 है जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी की तामील होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं होने से माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्व नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही कर वादी की साक्ष्य लेकर दिनांक 19.04.2010 को विधिवत् तरीके से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो सही हैं। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्व न्यायालय आप द्वारा कानुनन दो प्रतो में सम्मन जारी कर प्रार्थी/प्रतिवादी को तलब किया गया था सम्मन प्रार्थी/प्रतिवादी के साथ एक ही घर परिवार में होकर सामलाती घर में ही निवास कर रहे थे उनकी मौजूदगी में एक परत घर पर चस्पा की गई जिसकी तस्दीक स्वयं प्रार्थी/प्रतिवादी के भाई लच्छा ने सम्मन की द्वितीय प्रति के पुश्त पर की है और अपनी अंगुष्ठ निशानी उस पर कर दी एवं सम्मन चस्पा करने के वक्त मौजूद एक अन्य मौतबीर व्यक्ति ने भी इस बात की तस्दीक कर उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। मुल मुकदमा सं. 241/07 वाद में स्वयं लच्छा भी पक्षकार प्रतिवादी था। इस कलम में यह कथन किया है कि तामिल कुलिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट भी नहीं है यह कथन भी गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि उस सम्मन पर तामील कुलिन्दा ने अपनी रिपोर्ट कर दिनांक 14.09.2007 को सम्मन न्यायालय आपमें प्रस्तुत कर दिया था। इस प्रकार इस मुकदमें में प्रार्थी के सम्मन की तामील सही रूप से हुई उसके बावजूद प्रार्थी पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। इसलिए उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही सही की गई। उसमें कोई वैधानिक गलती नहीं हैं। इस मामले में विपक्षी सं. 4 से 7 की तामील भी सही रूप से हुई और उनके भी पेशी पर नहीं आने से उनके खिलाफ भी एक तरफा कार्यवाही हुई। इस तरह प्रार्थी/प्रतिवादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व एक तरफा की कार्यवाही सही हुई है तथा उसके बाद हम विपक्षीगण के पिता की शहादत लेकर और बहस सुनकर के न्यायालय ने दिनांक 19.04.2010 को फैसला सुना दिया गया। जिसको करीब 09 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थी के विरूद्व दिनांक 04.03.2008 को जो एक पक्षीय आदेश हुआ वह आदेश विधि के विपरित नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत भी नहीं है। क्योंकि प्रार्थी/प्रतिवादी की तामील दिनांक 04.03.2008 को हुई। उस पर प्रार्थी/प्रतिवादी के भाई लच्छा की अगुंष्ठ निशानी एवं अन्य मौतबीर के हस्ताक्षर हैं। उस सम्मन में आगामी तारीख दी गई थी जिसकी सूचना होते हुए भी प्रार्थी पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई जो विधि सम्मत् हो इसमें किसी भी प्रकार की कानुनी अडचन नहीं है और न ही यह आदेश निरस्त होने योग्य हैं। कथित प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी/प्रतिवादी का कभी भी कोई स्वामित्व नहीं रहा है क्योंकि वर्तमान आराजी नम्बर 257 के सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट राजस्थान सरकार की जमाबन्दी में पुराने नम्बर 271 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा थे जो हम विपक्षी के पिता वरदा वल्द खेमा डांगी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थे जो प्रारम्भ से ही उक्त भूमि हम विपक्षी के पिता एवं हमारे पिता के पश्चात् हम विपक्षी के कब्जे अधिकार में चली आ रही है और वर्तमान में उक्त भूमि न्यायालय के आदेशानुसार हम विपक्षी के पिता वरदा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज भी हो चुकी है और वरदा के देहावसान के पश्चात् विरासत से उक्त भूमि हम विपक्षी वारिसान के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हो चुकी है। इस मामले में एकतरफा का आदेश दिनांक 04.03.2008 को हुआ है और 04.03.2008 को गैरहाजिर रहने के बारे में इस प्रार्थना पत्र में कोई कारण दर्शित नहीं किया गया हैं। दिनांक 04.03.2008 के बाद कभी भी प्रार्थी/प्रतिवादी न्यायालय में आकर पेशी के बारे में इस प्रार्थना पत्र में कोई कारण दर्शित नहीं किया गया हैं। दिनांक 04.03.2008 के बाद कभी भी प्रार्थी/प्रतिवादी न्यायालय में आकर पेशी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था जब उसको यह मालूम है कि उसके विरूद्व न्यायालय में मुकदमा चल रहा है ऐसी अवस्था में उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने विरूद्व चल रहे मुकदमें में हाजिर रहे तथा आगे की पेशीयों की जानकारी लेवे उसकी लापरवाही से कोई मामला निर्णित हो जाता है तो पुनः एक्सपार्टी डिक्री किसी भी तरह से केन्सल होने योग्य नहीं हैं। क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर मामले में वादी की ओर से साक्ष्य में वादी के बयान लेखबद्व किये गये है और वादी की ओर से साक्ष्य में वादी के बयान लेखबद्व किये गये है और वादी ने अपनी ओर से दस्तावेज साक्ष्य में कुल 10 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये ... मामले को माननीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाने से वादी ... पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested

है जो सही हैं। इस जमीन पर प्रार्थी/प्रतिवादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कभी कोई कब्जा काश्त न तो पूर्व में रहा है और न ही वर्तमान में हैं। इस जमीन पर वर्तमान में हम विपक्षी वरदा के वारिस होने से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।

7. वादी वरदा द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में कभी भी कोई लिखापढी स्टाम्प पर नहीं की गई है। वरदा की मृत्यु होने एवं उसके वारिस हम विपक्षीगण होना स्वीकार हैं। शेष कथन गलत होकर अस्वीकार हैं। दिनांक 04.03.2008 की पेशी की जानकारी प्रार्थी को थी और उस पेशी पर प्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी अवस्था में उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई वह सही की गई हैं। इसलिए इस आधार पर भी यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अन्य तथ्य प्रार्थी/प्रतिवादी स्वयं साबित करावें। प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद नहीं हैं। क्योंकि प्रार्थी/प्रतिवादी को इस मामले की जानकारी दिनांक 04.03.2008 से पूर्व ही हो गई थी जिसके बाद भी वह जानबुझकर माननीय न्यायालय आपमें हाजिर नहीं हुआ जिससे उसके खिलाफ एक्सपार्टी कर एकपक्षीय डिक्री व निर्णय पारित किया गया हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी ने इतने लम्बे समय तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की हैं और न ही इस अवधि को कन्डोन करने के लिए ही कोई प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर स्वीकृति ली गई हैं। ऐसी अवस्था में भी प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र डिक्री के 6 वर्ष बाद हम विपक्षी के पिताजी की मृत्यु के बाद केवल हम विपक्षी को हैरान व परेशान करने की गरज से लगाया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र 10,000/– दस हजार रूपया खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे व हम विपक्षी को प्रार्थी से 10,000/– दस हजार रूपये खर्चे के दिलाया जावे। ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति केवल किसी को परेशान करने के लिए जो मामला 6 वर्ष पूर्व की समाप्त हो गया हो उसे पुनः जीवित करने का प्रयास करे ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने के लिए उन पर विशेष खर्चा लगाया जाना न्याय संगत हैं।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर *WLN 2013 (2) page 64, RRT 2015 page 79, RRT 2014-15 page 68, DNJ 2012 page 1305, RBJ 2004Page 638, R[illegible]07 Page 1447, RRT 2010 Page 216* प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मूल [illegible] को प्रस्तुत किया गया, जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी, प्रतिवादी के रूप में पक्षकार था। प्रतिवादी को प्रोपर तामील नहीं हुई हैं उक्त तामील घर पर चस्पा की गई एवं दो गवाहो के हस्ताक्षर कराये गये है। जिसके आधार पर दिनांक 04.03.2008 को एकतरफा कार्यवाही की गई एवं दिनांक 19.04.10 को निर्णय पारित कर दिया गया है। अतः जानकारी में आते ही प्रार्थना पत्र मय धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एक पक्षीय जारी निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी के रूप में प्रार्थी को सीपीसी के तहत आदेश 5 नियम 15 के तहत तामली कराई गई है। तामील कुनिन्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि बाहर मेहमान जाने से एक प्रत नोटिस खुले मकान पर चस्पा किया, जिसमें एक गवाह द्वारा हस्ताक्षर किये गये एवं दूसरे गवाह द्वारा अगुंष्ठ निशानी दी गई। जिस गवाह द्वारा अंगुष्ठ निशानी की गई। वह मूल दावें में प्रतिवादी सं. 1 होकर प्रार्थी का भाई हैं। डिक्री सही पारित की गई है, केवल मात्र लम्बा करने की गरज से प्रार्थना पत्र लगाया है जिसे भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया तथा उपलब्ध पत्रावली एवं मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 136 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 19.04.2010 को निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गई है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा एकतरफा पारित डिक्री को अपास्त किया जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा. दी. मय स्थगन प्रार्थना पत्र का पेश किया।

10. **<u>आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी में प्रावधान है कि :–</u> किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested

नियत करेगा। परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्ही के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी। परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय या यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।

11. प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से मूल वाद में जारी डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की गई हैं। हमने मूल पत्रावली 241/07 वरदा बनाम लच्छा का अवलोकन किया। मूल वाद वादी/अप्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 136 घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 के रूप में सखा उर्फ सुखलाल को पक्षकार बनाया गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 04.03.2008 को प्रतिवादी सं 2 सखा उर्फ सुखलाल के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 1 की तामील प्रतिवादी सं. 1 स्वयं लच्छा द्वारा ली गई हैं तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 की तामील खुले मकान पर चस्पा की गई जिसमें प्रतिवादी सं. 1 जो प्रतिवादी सं. 2 का भाई है के द्वारा अंगुष्ठ निशानी दी गई हैं जिसमें तामील कुनिन्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है कि ''बाहर मेहमान जाने से एक प्रत नोटिस खुले मकान पर चस्पा किया दो मौतबीरान के समक्ष'' इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी स. 2 को प्रोपर तामील हुई है इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। प्रतिवादी सं. 1 से 6 कना जी के वारिस होकर आपस में भाई–बहन हैं। जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 स्वयं द्वारा नोटिस लिया गया था। प्रतिवादी सं. 2, 5 के नोटिस खुले मकान पर चस्पा किये गये थे। प्रतिवादी सं. 6 की तामील रजिस्टर्ड एडी से भेजी गई थी जिसकी पावती पर कमलेश द्वारा लेना जाहिर आया हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 2 को उक्त दावे के बारे भली–भांति ज्ञान था परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर गवाह साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 वरदा पिता खेमा डांगी के साक्ष्य लिया जाकर पत्रावली में दिनांक 19.04.2010 को निर्णय पारित कर डिक्री जारी की गई। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली में साक्ष्य लिया [illegible] गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी के विरूद्व एक[illegible]फा कार्यवाही दिनांक 04.03.2008 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested

हुई उसके पश्चात लगभग 2 वर्ष बाद निर्णय पारित किया गया, एवं निर्णय के लगभग 5 वर्ष पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका भी धारा 5 में देरी का कोई स्पष्ट एवं वास्तविक कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एक पक्षीय डिक्री जिसमें न्यायालय द्वारा दो गवाहो के समक्ष खुले मकान पर चस्पा की गई। उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में जारी एकपक्षीय डिक्री की अपील नहीं की गई। इस पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा यह आरोप लगाया गया कि तामिल में अनियमितता की गई। बसन्त सिंह बनाम रोमन कैथोलिक मिशन ए.आई.आर. 2002 पेज नम्बर 3557 जिसमें बताया कि एकपक्षीय डिक्री अपास्त किया जाने का आधार प्रतिस्थापित तामिल में की गई अनियमिता नहीं हो सकती है।

सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस व दस्तावेजों से इस प्रार्थना पत्र में जिसमें एकपक्षीय डिक्री को निरस्त कराने का निवेदन किया। डिक्री दिनांक 19.04.2010 जिसमें प्रार्थी को तामिल कराई गई। प्रार्थी घर पर नही मिलने के कारण उसके भाई के सामने मकान पर चस्पा की गई। जिसमें की गई अनियमितता के कारण सम्यक् तामिल नहीं मानी जावे एवम् डिक्री निरस्त की जावे। माननीय न्यायालय द्वारा विनम्र अभिमत है कि तामिलों में अनियमितता के कारण डिक्री निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी डिक्री की नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 13 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. एक तरफा पारित निर्णय एवं डिक्रीन्यायालय सहायक कलक्टर, गिर्वा द्वारादिनांक 24.10.2013 प्रकरण संख्या 54/2013 के पारित निर्णय को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।
13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
14. पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न रहे।
15. निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:47:32 IST
Reason: SelfAttested